राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)(   )वि.यो.वि./नि.वि.यो./2018/ 2257   जयपुर, दिनांक : 10/5/2018

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 16(1)(74)वि.क./विवाह/सकवि/97/69310 दिनांक 24.12.97 से लागू विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करने में सहयोग देने के लिए राज्य सरकार की सुखद जीवन योजना अन्तर्गत संशोधित अधिसूचना क्रमांक 50351 दिनांक 19.08.2003 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 65790 दिनांक 30.10.2007 के बिन्दु संख्या 1 से 4 व आदेश क्रमांक 10781 दिनांक 28.02.2009 के संशोधित बिन्दु संख्या 5 के वर्तमान प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा :-

1. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि** :-निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ विवाह होने की तिथि से 6 माह तक की अवधि तक संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत कर सकेगे। विवाह होने की तिथि से 6 माह के पश्चात परन्तु विवाह की तिथि से 12 माह तक की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों में शिथिलता प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर से तथा विवाह होने की तिथि से 12 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक की अवधि में प्राप्त आवेदनों में शिथिलता माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर से ली जायेगी। विवाह होने की तिथि से 24 माह की अवधि के पश्चात आवेदन करने पर आवेदन जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।
2. **विवाह की आयु** :-योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिये।
3. **विवाह का पंजीयन** :-सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिये विशेष योग्यजन दम्पत्ति को अनिवार्य रूप से विवाह का पंजीयन करवाकर आवेदन के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. **अंतरजिला विवाह होने पर प्रमाण पत्र** :-जब विवाह जिले के बाहर राजस्थान राज्य के अन्य जिलें में होता है तो अनुदान स्वीकृत करने वाले जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को दूसरे जिले के जिलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि इस दम्पत्ति द्वारा इस जिले में अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है तथा भविष्य में आवेदन प्राप्त होने पर अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. **अंतरराज्यीय विवाह होने पर प्रमाण पत्र** :-राजस्थान मूल के वर/वधु द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्य में विवाह किया जाता है अर्थात किसी एक वर/वधु के राजस्थान राज्य मूल निवासी न होने की स्थिति में अनुदान स्वीकृत करने वाले जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को दूसरे राज्य के संबंधित जिले के जिलाधिकारी जो कि दिव्यांगता से संबंधित मामलों को देखते हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि इस दम्पत्ति द्वारा इस जिले में अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है तथा भविष्य में आवेदन प्राप्त होने पर अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. **आय सीमा** :-विशेष योग्यजन आवेदक/उसके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय राशि रुपये 2.50 लाख से अधिक न हो।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Pareek ji/Vishesh Yogyjan Vivah

क्रमांक : एफ 16(1)(   )वि.यो.वि./नि.वि.यो./2018/ 2248-53   जयपुर, दिनांक : 10/5/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त (विशेष योग्यजन), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

([illegible])
निदेशक